

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
--:अधिसूचना:-

अधि०सं०-प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-०४/२०२६ 4580 /पटना, दिनांक-14/7/26

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं०-५४/२०२६(Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-०६.०१.२०२६ को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-७ए/स० अभि०(यांत्रिक)-०१-०७/२०२०{१२} लो०से०आ०/गो०, दिनांक-२७.०२.२०२६ द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं०-०४/२०१९ के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी ।

२. उक्त संशोधित अनुशंसा में नये चयनित ०१(एक) उम्मीदवार के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन दिनांक-३०.०४.२०२६ को किया गया, जिसमें अभ्यर्थी श्री अमरेश कुमार उपस्थित हुए ।

३. विभागीय अधिसूचना सं०-३३१७ दिनांक-१९.०५.२०२६ द्वारा दिनांक-३०.०४.२०२६ को प्रमाण-पत्रों के जाँच में उपस्थित अभ्यर्थी श्री अमरेश कुमार को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-२ में सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-९(५३,१००-१,६७,८००) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के रिक्त पद के विरुद्ध औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुए अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, रक्सौल(मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित किया गया ।

उक्त अधिसूचना की कंडिका-२(v) के अनुसार “नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) को नियुक्ति-सह-पदस्थापन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ०१(एक) माह के अन्दर पदस्थापित कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी” ।

४. श्री कुमार द्वारा पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु निर्धारित ०१(एक) माह की निर्धारित समय-सीमा में योगदान नहीं किया गया । उनके द्वारा योगदान अवधि को विस्तारित करने हेतु ०१ माह की निर्धारित समय-सीमा के अंतिम तिथि-१८.०६.२०२६ को आवेदन समर्पित किया गया, परंतु योगदान अवधि विस्तारित करने हेतु विभाग में समर्पित आवेदन में कोई उचित प्रयोजन का उल्लेख नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया ।

५. अतएव सम्यक् विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-०४/२०१९ के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-३३१७ दिनांक-१९.०५.२०२६ द्वारा विभाग के अधीन सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त-सह-पदस्थापित निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) की पदस्थापित कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने के कारण नियुक्ति रद्द की जाती है-

Sl.No.	BPSC Sl. No.	Roll No.	Name	Combined Merit Serial	Date of Birth
1	1	400995	AMRESH KUMAR	9	03-05-1994

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 4580

/पटना, दिनांक- 14/7/26

प्रतिलिपि- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0-यथोक्त ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 4580

/पटना, दिनांक- 14/7/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 4580

/पटना, दिनांक- 14/7/26

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 4580

/पटना, दिनांक- 14/7/26

स्पीड पोस्ट
ई-मेल

प्रतिलिपि- श्री अमरेश कुमार, पिता- श्री सूर्यदेव पंडित, ग्राम-रघुनाथपुर, पोस्ट-सैदाबाद, थाना-रानीतालाब, जिला-पटना, पिन कोड-801104(e-mail ID- amresharyan209 @gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 4580

/पटना, दिनांक- 14/7/26

ई-मेल

प्रतिलिपि-अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बिहार/कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 4580

/पटना, दिनांक- 14/7/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।